

इंदौर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. खोल रहा एआई का बड़ा सेंटर

इंदौर। इंदौर में 27 अप्रैल को होने वाली आईटी कॉन्क्लेव के दौरान आईटी क्षेत्र से जुड़ी चार कंपनियों के उद्घाटन होंगे और कुछ कंपनियों की आधारशील रखी जाएगी। इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। उसमें स्पेसटेक नीति, एवीजीसी लैब, डोन स्कूल आफ एक्सीलेस और सायबर सुरक्षा सेंटरों को प्रदेश में खोले जाने की घोषणा होगी। इंदौर के सिंहासा आईटी पार्क में एमपीआरटीसी के सहयोग से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के लिए बड़ा सेंटर खोल रहा है। इसके अलावा साफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर खोल रहा है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन यादव तैयार है।



अनुराग कश्यप का पुतला नदी में बहाया पुलिस में शिकायत दर्ज, फिल्म रोकने की मांग

इंदौर। इंदौर के नीरज यानिक ने मशहूर फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ पलायन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। यानिक ने आरोप लगाया है कि वर्तमान में देश में तनावपूर्ण माहौल बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा जारी है और परिचय बंगल की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे समय में अनुराग कश्यप की एक टिप्पणी को यानिक ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ निम्न स्तरीय और आपत्तिजनक करा दिया है। उन्होंने कहा कि यह टिप्पणी देशदीव, राष्ट्रदीव और धर्मदीव की श्रेणी में आती है। यानिक ने कहा, ब्राह्मण समाज जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त दिन समाज के कर्मकांडों में साथ देता है। मेरी भावनाएं इसलिए आहत हुई हैं क्योंकि मैं सबसे पहले एक देशभक्त भारतीय हूं, फिर हिंदू और पिर ब्राह्मण।

मुख्यमंत्री से करेंगे मांग, फिल्म %फुले% की रिलीज रोकने की अपील नीरज यानिक ने कहा कि वे सभी धर्मों और समाज के लोगों से अपील करते हैं कि जो देश को तोड़ने की मानसिकता रखते हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने संबंधित टिप्पणी को लेकर एफआईआर के लिए शिकायत की है और उन्हें पूरा विश्वास है कि जल्द ही प्राप्तिकी दर्ज की जाएगी। यानिक ने मुख्यमंत्री को भी इस संबंध में पत्र भेजा है। उनका कहना है कि अनुराग कश्यप की फिल्म %फुले% को लेकर विवाद हुआ है, और यदि इस फिल्म के माध्यम से समाज में वर्षों पुरानी बातों को नए रूप में पेश कर गलतफहमियां या दंगे भड़काने की कोशिश की जाती है, तो इस

</div

વચ્ચફ કાનૂન મેં હુએ સંશોધન કો ભાજપા પ્રદેશાધ્યક્ષ વીડી શર્મા ને જનહિતૈષી બતાયા

વચ્ચફ કે નામ પર આદિવાસી ક્ષેત્રોं મેં અવૈધ કબ્જોં પર લગેરી રોક

સિટી ચીફ ભોપાલ। ભોપાલ। ભારતીય જનતા પાર્ટી ને વચ્ચફ કાનૂન મેં હુએ સંશોધન કો ઐતિહાસિક ઔર જનહિતૈષી બતારે હુએ દાવા કિયા હૈ કે ઇસરે આદિવાસી ક્ષેત્રોં મેં વચ્ચફ કે નામ પર હો રહે અવૈધ કબ્જોં પર રોક લગેરી। શનિવાર કો ભોપાલ સ્થિત પ્રદેશ ભાજપા કાર્યાલય મેં અનુસૂચિત જનજાતિ મોર્ચા કી વિશેષ બૈઠક આયોજિત કી ગઈ, જિસમેં પ્રદેશ અધ્યક્ષ વીડી શર્મા, સંગઠન મહામંત્રી હિતાનંદ શર્મા, કેન્દ્રીય રાન્ય મંત્રી દુગાં દાસ ઉર્ડીક, વિધાયક સાવિત્રી ટાકુર, મપ્ર કે જનજાતીય કાર્ય મંત્રી વિજય શાહ, અનુસૂચિત જાતિ કલાયણ મંત્રી નાગરસિંહ ચૌહાન ઔર એસટી મોર્ચા કે પ્રદેશ અધ્યક્ષ કલાસિંહ ભાબર સહિત બડી સંખ્યા મેં પદાર્થકારી મૌજદ થે। બિલ સે આદિવાસી ક્ષેત્રોં કો મિલેગા સંરક્ષણ બૈઠક મેં વીડી શર્મા ને કહા કે પહેલે વચ્ચફ સંપત્તિયાં પર કબ્જા કરને વાલે વ્યક્તિ કો દસ્તાવેજ દિખાને કી જરૂરત નહીં હોતી થી, ઉલ્લા અસરી માલક કો હી હી સાબિત કરના પડતા થા કે સંપત્તિ ઉસકી હૈ। યાં સિથ્તિ ખાસકર ગ્રામીણ ઔર આદિવાસી ક્ષેત્રોં મેં ગંધીર સમસ્યા બન ગઈ થી। ઇસલિએ સંસદ મેં સંશોધિત



વચ્ચફ સંપત્તિયાં પર કબ્જા કરને વાલે વ્યક્તિ કો દસ્તાવેજ દિખાને કી જરૂરત નહીં હોતી થી, ઉલ્લા અસરી માલક કો હી હી સાબિત કરના પડતા થા કે સંપત્તિ ઉસકી હૈ। યાં સિથ્તિ ખાસકર ગ્રામીણ ઔર આદિવાસી ક્ષેત્રોં મેં ગંધીર સમસ્યા બન ગઈ થી। ઇસલિએ સંસદ મેં સંશોધિત

વચ્ચફ સંપત્તિયાં પર કબ્જા કરને વાલે વ્યક્તિ કો દસ્તાવેજ દિખાને કી જરૂરત નહીં હોતી થી, ઉલ્લા અસરી માલક કો હી હી સાબિત કરના પડતા થા કે સંપત્તિ ઉસકી હૈ। યાં સિથ્તિ ખાસકર ગ્રામીણ ઔર આદિવાસી ક્ષેત્રોં મેં ગંધીર સમસ્યા બન ગઈ થી। ઇસલિએ સંસદ મેં સંશોધિત

વચ્ચફ સંપત્તિયાં પર કબ્જા કરને વાલે વ્યક્તિ કો દસ્તાવેજ દિખાને કી જરૂરત નહીં હોતી થી, ઉલ્લા અસરી માલક કો હી હી સાબિત કરના પડતા થા કે સંપત્તિ ઉસકી હૈ। યાં સિથ્તિ ખાસકર ગ્રામીણ ઔર આદિવાસી ક્ષેત્રોં મેં ગંધીર સમસ્યા બન ગઈ થી। ઇસલિએ સંસદ મેં સંશોધિત

વચ્ચફ સંપત્તિયાં પર કબ્જા કરને વાલે વ્યક્તિ કો દસ્તાવેજ દિખાને કી જરૂરત નહીં હોતી થી, ઉલ્લા અસરી માલક કો હી હી સાબિત કરના પડતા થા કે સંપત્તિ ઉસકી હૈ। યાં સિથ્તિ ખાસકર ગ્રામીણ ઔર આદિવાસી ક્ષેત્રોં મેં ગંધીર સમસ્યા બન ગઈ થી। ઇસલિએ સંસદ મેં સંશોધિત

રાષ્ટ્રીય અધિવેશન મેં જુટે દેશભર કે એલપીજી વિતરક, કહા-

ભીખ નહીં, હક ચાહીએ, માંગે પૂરી ન હોને પર હડૃતાલ કી ચેતાવની



મિલને વાતા કમીશન બદુર હી કમ હૈ, જવાંકિ ડીજલ, વેનેન, ઔર વિતરણ લાગત મેં કોનિડિંગ કાલ કે વાદ સે ભારી બદ્ધોત્તરી હુદ્દી હૈ। ઉછોને માંગ કી કી પ્રતિ સિલેંડર કમીશન કો કમ સે કમ 150 રૂપએ કિયા જાએ। સાથ હી, ઉછોને યથી માંગ નહીં માની ગઈ તો 25 હજાર વિતરક અનિશ્ચિતકાળીન હડૃતાલ કરેંને। સંગઠન કે અધ્યક્ષ વી.પ્સ. શર્મા ને કહા, હમને કંપનીયોં કે સાથ એક સ્પષ્ટ એપીર્મેન્ટ સાઇન કિયા હૈ, જિસમેં લીનેકેજ સુધારને કી કોર્ટ જિમ્પેડેરી નહીં દી ગઈ હૈ। એસે મેં વિતરકોને પર લીનેકેજ કે લિએ દાવા ડાલના અનુચૂચિત હૈ। ઇસ દોહરી નીતિ કો તત્કાલ સમાસ કિયા જાએ।

માંગ પૂરી નહીં હોને પર આંદોલન કી ચેતાવની ધોરણીયા ને કહા, અબ આંદોલન કો અંજામ તક પહુંચાને કા સમય આ ગયા હૈ। યદિ હમારી માંગ નહીં માની ગઈ તો 25 હજાર વિતરક અનિશ્ચિતકાળીન હડૃતાલ કરેંને। સંગઠન કે અધ્યક્ષ વી.પ્સ. શર્મા ને કહા, હમને કંપનીયોં કે સાથ એક સ્પષ્ટ એપીર્મેન્ટ સાઇન કિયા હૈ, જિસમેં લીનેકેજ સુધારને કી કોર્ટ જિમ્પેડેરી નહીં દી ગઈ હૈ। એસે મેં વિતરકોને પર લીનેકેજ કે લિએ દાવા ડાલના અનુચૂચિત હૈ। ઇસ દોહરી નીતિ કો તત્કાલ સમાસ કિયા જાએ।

માંગ પૂરી મેં 7 સૂત્રીય બિંદુ શામિલ કરે ગણ

કમીશન દર મેં વૃદ્ધિ અનુબંધોની પુન: સમીક્ષા

માર્કેટ ડિસ્પ્લાયશન ગાઇડલાઇન (એમડીજી) કો સમાસ કરના સિલેંડર લીનેકેજ કી જિમ્પેડેરી સે વિતરકોને સુધૃત્ત કરને અતિરિક્ત સ્ટોક કી બાધ્યતા સમાસ કરના ઉછાલા યોજના મેં પેનલ્ટી સે રાહત સેલ્સ અધિકારિઓને કે દાવા સે રાહત હોને પર લીનેકેજ કે લિએ દાવા ડાલના અનુચૂચિત હૈ। હમને સેકાંડ્ઝ કિલોમીટર ને કરીને હોને પર લીનેકેજ કે લિએ દાવા ડાલના અનુચૂચિત હૈ।

ધોરણીય નાના હોને પર આંદોલન કી ચેતાવની ધોરણીયા ને કહા, અબ આંદોલન કો અંજામ તક પહુંચાને કા સમય આ ગયા હૈ। યદિ હમારી માંગ નહીં માની ગઈ તો 25 હજાર વિતરક અનિશ્ચિતકાળીન હડૃતાલ કરેંને। સંગઠન કે અધ્યક્ષ વી.પ્સ. શર્મા ને કહા, હમને કંપનીયોં કે સાથ એક સ્પષ્ટ એપીર્મેન્ટ સાઇન કિયા હૈ, જિસમેં લીનેકેજ સુધારને કી કોર્ટ જિમ્પેડેરી નહીં દી ગઈ હૈ। એસે મેં વિતરકોને પર લીનેકેજ કે લિએ દાવા ડાલના અનુચૂચિત હૈ। ઇસ દોહરી નીતિ કો તત્કાલ સમાસ કિયા જાએ।

માંગ પૂરી નહીં હોને પર આંદોલન કી ચેતાવની ધોરણીયા ને કહા, અબ આંદોલન કો અંજામ તક પહુંચાને કા સમય આ ગયા હૈ। યદિ હમારી માંગ નહીં માની ગઈ તો 25 હજાર વિતરક અનિશ્ચિતકાળીન હડૃતાલ કરેંને। સંગઠન કે અધ્યક્ષ વી.પ્સ. શર્મા ને કહા, હમને કંપનીયોં કે સાથ એક સ્પષ્ટ એપીર્મેન્ટ સાઇન કિયા હૈ, જિસમેં લીનેકેજ સુધારને કી કોર્ટ જિમ્પેડેરી નહીં દી ગઈ હૈ। એસે મેં વિતરકોને પર લીનેકેજ કે લિએ દાવા ડાલના અનુચૂચિત હૈ। ઇસ દોહરી નીતિ કો તત્કાલ સમાસ કિયા જાએ।

માંગ પૂરી નહીં હોને પર આંદોલન કી ચેતાવની ધોરણીયા ને કહા, અબ આંદોલન કો અંજામ તક પહુંચાને કા સમય આ ગયા હૈ। યદિ હમારી માંગ નહીં માની ગઈ તો 25 હજાર વિતરક અનિશ્ચિતકાળીન હડૃતાલ કરેંને। સંગઠન કે અધ્યક્ષ વી.પ્સ. શર્મા ને કહા, હમને કંપનીયોં કે સાથ એક સ્પષ્ટ એપીર્મેન્ટ સાઇન કિયા હૈ, જિસમેં લીનેકેજ સુધારને કી કોર્ટ જિમ્પેડેરી નહીં દી ગઈ હ

सम्पादकीय

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, पूरी तरह नहीं लगी रोक

संशोधित कानून के लागभ 40 अन्य प्रावधान हैं, जिन पर न तो यथास्थिति का आदेश है और न ही रोक लगाई गई है। अर्थात् नया कानून अक्षरशः लागू है। ऐसे बयान और्वासी जैसे याचिकाकर्ताओं ने दिए हैं। सरकार उन प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर सकती है। मुसलमान होने वा इस्लाम के 5 साल के अध्यास वाले पौधे भी नहीं हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि यह विशेष स्थिति है। हमने कुछ कमियों की ओर इशारा किया है। कुछ सकारात्मक चीजें भी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि इतना बड़ा बदलाव किया जाए कि पक्षकारों के अधिकार प्रभावित हो।

बजरंग दल नेता विकास त्यागी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र

देवबंद स्थित पीडल्ड्यूडी के गेस्ट हाउस में अवैध कब्जा करके बनाई गई कब्र/मजार को हटाने जाने की मांग की



गौरव सिंघल। सिटी चीफ सहारनपुर। देवबंद, बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर अवगत कराया है की देवबंद स्थित लो.नि.वि. के अति विविध अतिथि गृह (गेस्ट हाउस) में अवैध कब्र/मजार चार दीवारी के अंदर

ही बनी हुई है, जो पूरी तरह से अवैध है उक्त अवैध मजार सरकारी भूमि पर कैसे बनी, किसे बनवाई और इसका वहां पर क्या औचित्य है? यह जांच का विषय है। विकास त्यागी ने बताया की कब्र/मजार सरकारी भूमि पर कब्जा करके बनाई गई है, जो अतिक्रमण भी है। भविष्य में



कोई भी व्यक्ति कब्र को अपने पूर्वजों या वक्फ की सम्पत्ति बताकर एक नये विवाद को जन्म दे सकता है? इसलिए अवैध कब्र/मजार को हटाया जाना नितान्त आवश्यक है। विकास त्यागी ने पत्र की एक प्रति एसडीएम देवबंद युवराज सिंह को भी देते हुए कहा कि जो भी स्कूल उत्तर प्रदेश स्वित पोषित

अस्पताल के सामने शासकीय जमीन पर हुई

अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई

बड़े-बड़े घरों को किया गया जमीन दोज, करोड़ों की जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त

रामनरेश विश्वकर्मा। सिटी चीफ पत्रा, जिले के पवई में गुरुवार को प्रशासन द्वारा कटनी रोड पर वार्ड क्रमांक 15 में नवीन अस्पताल भवन के सामने शासकीय जमीन पर अतिक्रमण रूपी घरों को गिराकर करोड़ों की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जानकारी अनुसार मानीय न्यायालय राज्य प्रकरण क्रमांक 0087/अ - 68 के अनुसार शासकीय आरजी नंबर 3133/1/1 रक्वा 4.445 हैक्टेयर भूमि जो मध्य प्रदेश शासन के

नाम दर्ज है, जिसमें अतिक्रमण है, जिसे बेदखल किए जाने का आदेश परित किया गया था साथ ही तीन दिवस पूर्व आठ लोगों को बेदखल बारंट जारी किया गया था। गुरुवार की सुबह एसडीएम समीक्षा जैन, तहसीलदार प्रीति पंथी सीएम तबस्सुम खान, नायब तहसीलदार राकेश श्रीवास्तव, शिवम गौतम, थाना प्रभारी पवई त्रिवेंद्र त्रिवेदी सहित मोहन्दा चौकी, ऐरुआ थाना, हरदुआ चौकी, शाहनार थाना सहित राजस्व अमला एक जेसीवी व



एक पोकलेन मशीन लेकर पहुंचे ब शासकीय जमीन पर बने करोड़ों रुपए के घरों को गिराया गया। इस बड़ी कार्रवाई से क्षेत्र में

हड्डकंप मच गया है। एसडीएम समीक्षा जैन ने बताया कि आगे भी अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई जारी रहेगी।

नगर के अंदर संचालित अंडा मांस की दुकानों पर प्रशासनिक कार्रवाई

जेसीबी मशीन से ढाई दुकानें, जप्त किया सामान



रामनरेश विश्वकर्मा। सिटी चीफ पत्रा, पवई नगर में संचालित अंडा, मांस, मछली की दुकानों के विश्वद लगातार शिकायतों के प्रसार हो रही थी। लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई करते हुए नगर में स्टेट बैंक के आसपास संचालित दुकानें, खटीक मोहल्ला, करही मोड नहीं पवई के साथ नगर परिषद वार्ड पर्वाद के घर में संचालित दुकान पर ताबड़े तोड़ कार्रवाई करते हुए नगर में स्टेट बैंक के आसपास संचालित दुकानें, खटीक मोहल्ला, करही मोड नहीं पवई के साथ नगर परिषद वार्ड पर्वाद के घर में संचालित दुकानों के विश्वद हेतु चमरहा नाला पार कर कटनी रोड पर अरण्य भवन के सामने स्थान निर्धारित किया गया है, इसके बाबजूद और बार-बार समझाइस देने के बाद भी नगर के अंदर ही दुकानें संचालित की जा रही थी, जिस पर कठोर कार्रवाई की गई। एसडीएम समीक्षा जैन और प्रशासन की इस कार्रवाई से नगर सहित क्षेत्र में प्रशासन की सराहना हो रही है। इस कार्रवाई में तहसीलदार प्रीति पंथी, नगर परिषद की उपर्युक्त नायब तबस्सुम खान, नायब तहसीलदार राकेश श्रीवास्तव, शिवम गौतम, थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी सहित राजस्व नगर परिषद की टीम को बुलाकर सारी समग्री को जस करवाया, इसके

अलावा कई दुकानों पर जेसीबी मशीन भी चलवाई गई। बता दें कि नगर परिषद द्वारा अंडा मांस मछली के विश्वद हेतु चमरहा नाला पार कर कटनी रोड पर अरण्य भवन के सामने स्थान निर्धारित किया गया है, इसके बाबजूद और बार-बार समझाइस देने के बाद भी नगर के अंदर ही दुकानें संचालित की जा रही थी, जिस पर कठोर कार्रवाई की गई।

एसडीएम समीक्षा जैन और प्रशासन की इस कार्रवाई से नगर सहित क्षेत्र में प्रशासन की सराहना हो रही है। इस कार्रवाई में तहसीलदार प्रीति पंथी, नगर परिषद की उपर्युक्त नायब तबस्सुम खान, नायब तहसीलदार राकेश श्रीवास्तव, शिवम गौतम, थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी सहित राजस्व नगर परिषद की टीम को बुलाकर सारी समग्री को जस करवाया, इसके

पर योग्य आयु का परीक्षण करने के पूर्व वर्व-वधु की विवाह योग्य आयु का परीक्षण करने के उपर्युक्त विवाह योग्य आयु पूर्ण होने

सुशिल सोनी। सिटी चीफ

अनूपपुर, कलेक्टरेट स्थित सोन सभागार में शुक्रवार को बाल विवाह रोकथाम हेतु विवाह में सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता जैसे धर्मगुरु, प्रिंटिंग प्रेस, कैटरर, होटल, हलवारी, मैरिज गार्डन, टेंट, बैंड बाजा संचालक आदि के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विवाह विभाग श्री विनोद परस्ते, सहायक संचालक महिला एवं बाल विवाह विभाग श्रीमती मंजूषा शर्मा, अव्यक्त बाल कल्याण समिति श्री मोहनलाल पेटेल, हार्ड सामाजिक संस्था के संभागीय संयोजक श्री

सुशिल शर्मा, जिले के विभिन्न सेवा प्रदाता, प्रिंटिंग प्रेस, चार्ल्ड लाईन, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी व पर्यवेक्षक अति उपस्थित थे।

कार्यशाला में हाई सामाजिक संस्था के संभागीय संयोजक श्री सुशिल शर्मा द्वारा विवाह में सेवा प्रदान करने के पूर्व वर्व-वधु की विवाह योग्य आयु का परीक्षण करने के उपर्युक्त विवाह योग्य आयु पूर्ण होने

सुशिल सोनी। सिटी चीफ

अनूपपुर, कलेक्टरेट स्थित सोन सभागार में शुक्रवार को बाल विवाह रोकथाम हेतु विवाह में सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता जैसे धर्मगुरु, प्रिंटिंग प्रेस, कैटरर, होटल, हलवारी, मैरिज गार्डन, टेंट, बैंड बाजा संचालक आदि के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विवाह विभाग श्री विनोद परस्ते, सहायक संचालक महिला एवं बाल विवाह विभाग श्रीमती मंजूषा शर्मा, अव्यक्त बाल कल्याण समिति श्री मोहनलाल पेटेल, हार्ड सामाजिक संस्था के संभागीय संयोजक श्री सुशिल शर्मा द्वारा विवाह में सेवा प्रदान करने के पूर्व वर्व-वधु की विवाह योग्य आयु का परीक्षण करने के उपर्युक्त विवाह योग्य आयु पूर्ण होने

सुशिल सोनी। सिटी चीफ

अनूपपुर, कलेक्टरेट स्थित सोन सभागार में शुक्रवार को बाल विवाह रोकथाम हेतु विवाह में सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता जैसे धर्मगुरु, प्रिंटिंग प्रेस, कैटरर, होटल, हलवारी, मैरिज गार्डन, टेंट, बैंड बाजा संचालक आदि के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विवाह विभाग श्री विनोद परस्ते, सहायक संचालक महिला एवं बाल विवाह विभाग श्रीमती मंजूषा शर्मा, अव्यक्त बाल कल्याण समिति श्री मोहनलाल पेटेल, हार्ड सामाजिक संस्था के संभागीय संयोजक श्री सुशिल शर्मा द्वारा विवाह में सेवा प्रदान करने के पूर्व वर्व-वधु की विवाह योग्य आयु का परीक्षण करने के उपर्युक्त विवाह योग्य आयु पूर्ण होने

सुशिल सोनी। सिटी चीफ

अनूपपुर, कलेक्टरेट स्थित सोन सभागार में शुक्रवार को बाल विवाह रोकथाम हेतु विवाह में सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता जैसे धर्मगुरु, प्रिंटिंग प्रेस, कैटरर, होटल, हलवारी, मैरिज गार्डन, टेंट, बैंड बाजा संचालक आदि के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विवाह विभाग श्री विनोद परस्ते, सहायक संचालक महिला एवं बाल विवाह विभाग श्रीमती मंजूषा शर्मा, अव्यक्त बाल कल्याण समिति श्री मोहनलाल पेटेल, हार्ड सामाजिक संस्था के संभागीय संयोजक श्री सुशिल शर्मा द्वारा विवाह में सेवा प्रदान करने के पूर्व वर्व-वधु की विवाह योग्य आयु का परीक्षण करने के उपर्युक्त विवाह योग्य आयु पूर्ण होने

सुशिल सोनी। सिटी चीफ

अनूपपुर, कलेक्टरेट स्थित सोन सभागार में शुक्रवार को बाल विवाह रोकथाम हेतु विवाह में सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता जैसे धर्मगुरु, प्रिंटिंग प्रेस, कैटरर, होटल, हलवारी, मैरिज गार्डन, टेंट, बैंड बाजा संचालक आदि के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विवाह विभाग श्री विनोद परस्ते, सहायक संचालक महिला एव


मिटी चीफ

इटली की जेलों में पार्टनर के साथ शारीरिक सबंध बना सकेंगे कैदी

इंटरनेशनल डेस्क: इटली की जेलों में एक नई और हैरान करने वाली पहल शुरू की गई है। कोर्ट के आदेश पर अब कैदियों को अपने पार्टनर से निजी तौर पर मिलने और शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति दी गई है। इसके लिए जेलों में खास %डेक्स्सर रूम% बनाए जा रहे हैं, जहाँ दो घंटे तक को अंतरंग मुलाकात की सुविधा होगी। हालांकि इस सुविधा के साथ कुछ नियम भी जोड़े गए हैं, जैसे कि दरवाजा खुला रखना अनिवार्य होगा। यह पहल कैदियों के अधिकारों और मानविक स्वास्थ्य के लिहाज से एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है।

कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई पहल

इस पहल की शुरुआत जनवरी 2024 में एक अदालत के फैसले के बाद हुई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कैदियों को भी



मानवीय अधिकारों के तहत अपने मिलने का हक मिलना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि कई

यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड और स्वीडन में पहले से ही ऐसी स्ववस्था है।

टेर्नी जेल में बना पहला सेक्सरूम इटली के टेर्नी शहर की एक जेल में बनाया गया है। शुक्रवार को एक कैदी ने यहाँ पहली बार अपनी महिला मित्र से मुलाकात की। इस रूम में बिस्तर और शीचालय जैसी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं, कैदियों को यहाँ 2 घंटे तक रुकने की इजाजत है।

दरवाजा खुला रखना होगा

हालांकि इस सुविधा के साथ एक शर्त भी जोड़ी गई है। कैदियों को अपने पार्टनर के साथ रूम में रहने के दौरान दरवाजा खुला रखना होगा। जेल प्रशासन का कहना है कि अगर किसी भी स्थिति में तुरंत हस्तक्षेप करना पड़े तो गार्ड अंदर आ सके। यह सुरक्षा

कारणों से जरूरी है।

निजता और गरिमा का रखा गया ध्यान

अम्ब्रिया क्षेत्र के लोकपाल ग्रूप्सेप्पे कैफोरियो ने इस प्रयोग को सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब किसी कैदी को बिना गार्ड की मौजूदगी के अपनी पार्टनर से निजी रूप से मिलने का मौका दिया गया। साथ ही निजता और गरिमा को सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है।

अन्य जेलों में भी हो सकती है शुरूआत

अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो आने वाले समय में इटली की अन्य जेलों में भी ऐसी स्ववस्था शुरू की जा सकती है। यह पहल कैदियों के मानविक स्वास्थ्य और संबंधों को बनाए रखने के लिए अहम मानी जा रही है।

रही है।

जेलों की खस्ता हालत से जड़ा रहा इटली गौरतलब है कि इटली की जेलों में पहले से ही भीषण भीड़ है। यह कुल 62 हजार कैदी हैं जबकि जेलों की क्षमता उससे 21 लाख कम है। यही वजह है कि यहाँ अस्थिरताओं की दर भी बढ़ी है। ऐसे में इस पहल को जेल व्यवस्था को और मानवीय बनाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।

यूरोप में ऐसा क्या है जरूरी?

यूरोपीय मानवाधिकार सिङ्गांतों के अनुसार, एक कैदी की सजा का मतलब यह नहीं होता कि उसे उसके परिवार या संबंधों से पूरी तरह अलग कर दिया जाए। वैवाहिक या प्रेम संबंधों का मानविक संतुलन और जीवन में स्थिरता बनाए रखने में अहम योगदान होता है।

पोखरा हवाईअड्डे के निर्माण में 14 अरब का घोटाला, चीन ने बनाया; रिपोर्ट में खुलासा

काठमांडू: नेपाल की एक संसदीय समिति ने एक चीनी कंपनी द्वारा निर्मित पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के निर्माण में 14 अरब नेपाली रुपये के एक बड़े घोटाले का पत्रफाश किया है। इस हवाईअड्डे के निर्माण के लिए चीन से सस्ता उपयोग मिला था। प्रतिनिधि सभा की लोक लेखा समिति को उपर्योग में रिपोर्ट में हवाईअड्डे के निर्माण में अनियमिताएं पाई गई। इस उपसमिति के प्रमुख सांसद राजेंद्र लिम्बाङ्केहैं।

रिपोर्ट में लगभग 14 अरब रुपये के गबन को उजागर किया गया है और परियोजना में शामिल कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण चीन के एक रिपोर्ट में अनियमिताएं पाई गई। इस उपसमिति के प्रमुख सांसद राजेंद्र लिम्बाङ्केहैं।

रिपोर्ट में लगभग 14 अरब रुपये के गबन को उजागर किया गया है और परियोजना में शामिल कई वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण चीन के एक रिपोर्ट में अनियमिताएं पाई गई। इस उपसमिति के प्रमुख सांसद राजेंद्र लिम्बाङ्केहैं।

पूरा हुआ था। समझौते के अनुसार, नेपाल को हवाई अड्डे का निर्माण पूरा होने के बाद सात वर्षों तक दो प्रतिशत व्याज दर पर ऋण चुकाना है और फिर अगले 13 वर्षों में मूलधन का भुगतान करना है। उपर्योग में इसे अस्वाभाविक बताया किया गया, जिससे फलों की शेलफ लाइफ 60 दिन तक बढ़ाई जा सकती। इस खेप में 4,620 बॉक्स शामिल थे और पांच सप्ताह में इसे डिलीवर किया गया।

समिति ने इसे अस्वाभाविक बताया किया गया, जिससे फलों की शेलफ लाइफ 60 दिन तक बढ़ाई जा सकती। इसे अस्वाभाविक बताया किया गया, जिससे फलों की शेलफ लाइफ 60 दिन तक बढ़ाई जा सकती। इसे अस्वाभाविक बताया किया गया, जिससे फलों की शेलफ लाइफ 60 दिन तक बढ़ाई जा सकती।



समिति ने इसे अस्वाभाविक बताया किया गया, जिससे फलों की शेलफ लाइफ 60 दिन तक बढ़ाई जा सकती।

करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत से परियोजना का निर्माण करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें सात करोड़ अमेरिकी डॉलर अतिरिक्त राशि जोड़ी गयी थी।

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने

पिछले 48 घण्टों के दौरान

इजरायली हवाई हमलों में 90 से

अधिक लोग मारे गए हैं।

इनमें कई लोग घायल भी हुए हैं।

यह घटना इजराइल द्वारा गाजा पर हमलों को तेज़ करने के दौरान हुई है, और संयुक्त राष्ट्र ने इस बात को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि इजरायली रक्षा बल ने गाजा में आवश्यक खाली और चिकित्सा सहायता की आवश्यकी को रोक दिया है। इससे फलों को रोक दिया है।

पिछले महीने इजराइल और हमास के बीच संघर्षविराम समाप्त हो गया था, जिसके बाद इजरायल ने फिर से गाजा पर बमबारी तेज़ कर दी।

इजरायली सेना ने गाजा के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और यह क्षेत्र में संचार को और बड़ा घोषणा है।

इस दौरान सैकड़ों लोग मारे गए हैं।

इनमें एक परिवार के 10 सदस्य

और एक परिवार के 10 सदस्य

महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद इजरायली सेना ने गाजा में आवश्यक खाली और चिकित्सा सहायता की अपील की है। यह हमला इजरायली सेना द्वारा गाजा शहर के विभिन्न विस्तों में किया गया, जहाँ नागरिकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का इन्होंने कार्यक्रम संभाल रखा है। यह हमला इजरायली सेना द्वारा गाजा शहर के विभिन्न विस्तों में किया गया, जहाँ नागरिकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का इन्होंने कार्यक्रम संभाल रखा है। यह हमला इजरायली सेना द्वारा गाजा शहर के विभिन्न विस्तों में किया गया, जहाँ नागरिकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का इन्होंने कार्यक्रम संभाल रखा है।

इनमें एक परिवार के 10 सदस्य

महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद इजरायली सेना ने गाजा में आवश्यक खाली और चिकित्सा सहायता की अपील की है। यह हमला इजरायली सेना द्वारा गाजा शहर के विभिन्न विस्तों में किया गया, जहाँ नागरिकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का इन्होंने कार्यक्रम संभाल रखा है। यह हमला इजरायली सेना द्वारा गाजा शहर के विभिन्न विस्तों में किया गया, जहाँ नागरिकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का इन्होंने कार्यक्रम संभाल रखा है।

इनमें एक परिवार के 10 सदस्य

महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद इजरायली सेना ने गाजा में आवश्यक खाली और चिकित्सा सहायता की अपील की है। यह हमला इजरायली सेना द्वारा गाजा शहर के विभिन्न विस्तों में किया गया, जहाँ नागरिकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का इन्होंने कार्यक्रम संभाल रखा है। यह हमला इजरायली सेना द्वारा गाजा शहर के विभिन्न विस्तों में किया गया, जहाँ नागरिकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का इन्होंने कार्यक्रम संभाल रखा है।

इनमें एक परिवार के 10 सदस्य

महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद इजरायली सेना